



राज ऋषि भृहृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रवास भवन, बाबूशंभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2736327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rbmuniv.ac.in

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकाद-द्वितीय/2022/65

दिनांक : 11-01-23

—कार्यालय आदेश—

दिनांक 11.01.2023 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक की कार्यवाही विवरण की बिन्दु संख्या 04 के अनुसरण में निजी अकादमिक महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता का विस्तार सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के लिए किये जाने की अभिशंभा को गई है। माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 11.01.2023 की अनुपालना में निम्नलिखित महाविद्यालय की सम्मुख सीटों एवं विषयों में सत्र 2021-22 एवं 2022-23 की अस्थाई सम्बद्धता में विस्तार किया जाता है।

The college for granting extension for provisional affiliation for the session 2021-22 & 2022-23

Sr. No	Name of Colleges	Year of Establishment/ first affiliation	Course/Subject	Numbers of seats	NOC Permanent/ Temporary	Remarks
1.	G.L.M. College, Vill.- Mancha, Kishangarh Bas, Alwar	2022-23	B.A- Economics, Eng. Lit., Hindi Lit, Geography, History, Home Sci., Music, Pol.Sci., Sanskrit, Sociology, Physical Edu., Drawing B.Sc- Physics, Math, chemistry, Botany, Zoology	120 120	T 2022-23	

The colleges are directed not to be admit excess students beyond the number of seats sanctioned them, in case they admit excess student they will be treated as non-collegiate and appropriate action for de-affiliation will be initiated against the college

01. महाविद्यालय सत्र 2021-22 में प्रवेश नहीं लेवे।
02. महाविद्यालय न यदि स्पोर्ट्स फीस जमा नहीं करवायी है वे महाविद्यालय 15 दिवस में स्पोर्ट्स फीस आवश्यक रूप से जमा करवा देवे। अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
03. समस्त महाविद्यालयों द्वारा यूजीसी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
04. विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यदि महाविद्यालय द्वारा पत्रावली में जमा करवाये गये दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
05. सत्र 2022-23 के सम्बद्धता शुल्क के साथ जीएसटी नहीं लिया गया है यदि भविष्य में जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी लेने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है तो समस्त महाविद्यालयों को जीएसटी की राशि विश्वविद्यालय में जमा करवानी होगी।
06. महाविद्यालय के द्वारा यदि स्टाफ में कोई परिवर्तन विना जाता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय इसकी सूचना विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से दे।

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकाद-द्वितीय/2022/65-70

दिनांक : 11-01-23

प्रतिलिपि: सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. परीक्षा नियंत्रक।
02. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय
03. निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय।
04. प्रभाषी अधिकारी, आई.टी।
05. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

कुलपति